

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email= bsmfclpatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संख्या:-----नि० /रो०/ऋण /

पटना, दिनांक: -----

स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2019-20 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-09.09.2020 से 13.09.2020 को चयनित वृहत-ग्रामीण क्र०सं -1 से 3 तक, के ऋण आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा गया जिला के त्रुटिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निस्पादित कराकर उनके द्वारा स्थल जाँच समर्पित किये गये प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 03 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है

S I N O	चयन सूची	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing & Emboss Charge	Net Payable Amount
1	193	MD SADDAM HUSSAIN, S/o-MD MANSOOR KHAN, Vill.-KARMA TOLA AZIZABAD, Block+PS-BARACHATI, PO-BHADIYA, Distt-GAYA-824201, Mob no.-9955587286	A/c No.:- 2386000100029245 PUNB0238600	JUTA CHAPAL	250000	1250 +2030 =3280	246720
2	238	BITTU KUMAR, S/o- MANOJ KUMAR, Vill.-KURWA, Block-KHIJSARI, PS-MAHKAR THANA, PO-NAUDIHA, Distt.-GAYA-824233, Mob no.-8083370318	A/c No.:- 50170000029550 BDBL0001543	BAKERY	200000	1000 +2030 =3030	196970
3	15	RANJAN KUMAR, S/o- BASUDEV PRASAD, Vill.-KARIHARA, Block+PS+PO-TANKUPPA, Distt.-GAYA-823001, Mob no.-7782016507	A/c No.:- 30529786465 SBIN0003588	COACHI NG	250000	1250 +2030 =3280	246720
TOTAL					700000	9590	690410

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पतियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पतियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, गया द्वारा अपने पर्यवेक्षण में किसी कर्मी से कराते हुए आंकड़ा संधारित करेंगे एवं प्रतिवेदन की एक प्रति निगम कार्यालय को भी उपलब्ध करेंगे।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

ह0/-

प्रबंध निदेशक

2372

दिनांक:- 20-10-23

ज्ञापांक: संचिका संख्या नि रो ऋण-03-45/19-----

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आपके द्वारा जॉचोपरान्त प्राप्त 03 दस्तावेज / अभिलेख को ऋण की स्वीकृति दी गई है। भविष्य में दस्तावेज / अभिलेख में किसी भी प्रकार की त्रुटि की जिम्मेदारी आपकी होगी। सभी ऋण धारक/ ऋण शाखा/ ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/ लेखा शाखा/ मगध प्रमण्डलीय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस भेजने हेतु सूची प्रेषित।

सहायक निदेशक